विज्ञप्ति

संख्याः 339 / डी0ई0जी0एस0–2020 दिनांकः 06 नवम्बर 2020

सूचना प्रोद्योगिकी विकास ऐजेंन्सी के पत्र संख्या–2113 / आई0टी0डी0ए0 तथा सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्याः–621 / XXXiv/2019-42/2009TC-1 दिनांक 16.12.2019 के कम में जनपद हरिद्वार में आई0टी0डी0ए0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून से प्राप्त 12 आधार किटो के संचालनं हेतु कुशल अनुभवी एवं यू0आई0डी0आईई0 से प्रमाणित आधार ऑपरेटर्स को आउट सोर्सिग के द्वारा लिया जाना है। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं नियम व शर्ते तथा शासनादेश की प्रति जनपद की वेबसाइट www.haridwar.nic.in पर तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। इच्छुक एजेन्सी कृपया दिनांक 20.11.2020 को समय 17.00 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय के कक्ष संख्याः–220 अथवा अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) के कार्यालय में अपने प्रस्ताव पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्वंय उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा। नियम एवं शर्ते कार्यालय के कक्ष संख्या–220 से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है। आउटसोर्सिग एजेन्सी का चयन जनपद में गठित आधार सेल समिति के सदस्यों की सहमति के आधार पर किया जायेगा।

अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0),
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः– 1– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि वह विज्ञप्ति हो जनपद की वैबसाईट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2– जिला सूचनाधिकारी,हरिद्वार को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0),
हरिद्वार।

नियम एवं शर्तो :–

- आधार एजेंसी प्रत्येक 07 दिनों में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय / नोडल अधिकारी द्वारा प्रबंधित आधार नामांकन और अपडेट शुल्क आधार परियोजना से सम्बंधित बैंक खाते में जमा करेगी। साथ ही दिन प्रतिदिन के लेन-देन के रिकॉर्ड के लिए पंजिका तैयार की जायेगी।
- नोडल अधिकारी द्वारा लेन-देन के सत्यापन के बाद, आधार एजेंसी को आईटी उत्तराखंड के दिशा निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक महीने के अनुसार आधार, नया नामांकन और अद्यतन शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- एजेंसी आधार नामांकन लेगी और यूआईडीएआई के दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदक से निर्धारित शुल्क वसूल करेगी, यह एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह जाँच और निगरानी करेगे, कि आवेदक से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है।
- आधार नामांकन और अद्यतन कार्य के संबंध में कोई भी ऑपरेटर अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप ऑपरेटर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा।
- आधार एजेंसी केंद्र की स्थापना करेगी, आवेदकों के लिए केंद्र के बाहर यू0आई0डी0ए0आई0 की अनुमोदित दरों के साथ आधार फ्लेक्स बोर्ड भी लगाएगी तथा ऑपरेटर अपना दूरभाष न0 भी अंकित करेगा।
- जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा ऑपरेटर के पूर्व निर्धारित हिस्से के अलावा आधार एजेंसी को कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।
- आधार एजेंसियाँ श्रम विभाग के नियमों के अनुसार ऑपरेटर को मासिक वेतन का नियमानुसार भुगतान करेंगी (**न्यूनतम मजदूरी नियमों के अनुसार**)
- अलग-अलग स्थानों पर लगाए जाने वाले ऑपरेटरो की सूची एजेंसी द्वारा जिला कार्यालय को उपलब्ध करवानी होगी जिसके पश्चात ऑपरेटरो को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा चयनित स्थानों पर नियुक्त किया जाएगा। ऑपरेटरों के मासिक वेतन का भुगतान आधार एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
- आधार किट / हार्डवेयर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय हरिद्वार द्वारा प्रदान किया जाएगा, यदि एजेंसी चाहती है कि वह अपना हार्डवेयर को आधार नामांकन और अद्यतन कार्य के लिए उपयोग करे तो वह उस का उपयोग कर सकता है, जिसके लिए एजेंसी को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।।
- सेवा प्रदाता आधार एजेंसी द्वारा उपलब्ध ऑपरेटरो को दो 02 राजपत्रि अधिकारियो के द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
- ऑपरेटर/कार्मिक को आधार एजेंसियों द्वारा पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।
- आधार एजेंसी द्वारा उपलब्ध मानव शक्ति/ऑपरेटर हमेशा के लिए आधार एजेंसी /सेवा प्रदाता फर्म के कर्मचारी ही बने रहेंगे और आधार एजेंसी /सेवा प्रदाता फर्म ही किसी भी विवाद के लिए उत्तरदायी होगी, जिसमें किसी भी प्रकार के कानूनी हस्तक्षेप हेतु आधार एजेंसी /सेवा प्रदाता फर्म ही ज़िम्मेदार होगी।
- यदि किसी भी कारण से आधार एजेंसी का कोई ऑपरेटर/कर्मचारी अपनी ड्यूटी से छुट्टी या अनुपस्थित रहता है, तो आधार एजेंसियों द्वारा सूचना पर 24 घंटे के भीतर अन्य ऑपरेटर की व्यवस्था करनी होगी|
- आधार नामांकन और अद्यतन कार्य में उपयोग होने वाली स्टेशनरी आदि का खर्च आधार एजेंसी द्वारा स्वंय किया जाएगा।
- आधार एजेन्सी के ऑपरेटरों को न्यूनतम 2 वर्ष का आधार पंजीकरण अनुभव जनपद स्तर पर होना अनिवार्य है तथा ऑपरेटरों द्वारा पूर्व में जिला प्रशासन के आदेशों के अनुपालन में आधार कैम्प का भी आयोजन किया गया हो।
  आधार एजेंसी द्वारा शासकीय या सरकारी मशीन उपयोग में लाने हेतु प्रतिमशीन 15000.00 रू0 सिक्योरिटी के रूप में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराना होगा।

(अभिषेक चौहान)
ई डिस्ट्रिक मैनेजर
डी.ई0जी.एस हरिद्वार।